3-5-18 आज P.O. सा. के ग्राम भ्रमण पर होने से जनसुनवाई की गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 12-7-18 को पेश हो।

न्याय आपके द्वार 2018

11-5-18 पत्रावली मामाब लोक अदालत कैम्प नोहर तीजरबड़ा में पेश हुई। प्रार्थी गण बाबजूद तामिल के कैम्प में नहीं उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 6 हीरा लाल कैम्प में उपस्थित। अप्रार्थी सं. 6 हीरा लाल से सुना गया। हीरा लाल के बयान लिये जाकर आगामी पत्रावली दिये गये। हीरा लाल ने अपने बयानों में अंकित आपसी समझौते की बात कही है। मामला खा. नं. 1105 है, जिस पर आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 5 व 6 के ख.नं. 1106 रकबा 0.15 है. में से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सम्पूर्ण हिस्से का आपसी समझौते के तहत छोड़ा गया है। शेष के अप्रार्थी गण के द्वारा अपने मुहा भूमि पर से मार्ग देने को तैयार है। केवल मार्ग सामान्य रास्ता नहीं खुला है। रास्ते हेतु छोड़ी गई भूमि पर प्रार्थीगण के द्वारा अपने खर्च से खेमपाजी नहीं लिये

AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर दौसा मुकाम दौसा

बाबूलाल बनाम सुनु

किस्म मुकदमा II. नं. 179 सन् 15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आबादी निवेश योजना से प्रभावित किसान भाई राहत हेतु क्रय की गई भूमि पर आवंटित कर दिया गया आबादी निवेश योजना अपरोक्ष नहीं होने से फर्जी मान कर प्रकरण बन्द आबादी निवेश योजना स्वीकृत किया जाता है प्रकरण में कोई भूमि अवैध नहीं है। तहसीलदार दौसा के प्रतिवेदन के अनुसार है एवं भूमि आवंटन की कार्यवाही है। निर्णय सहायक कलक्टर अदालत में अपील तिरवाड़ा बाला के मामले आम में लिया जाना चाहिए।	

सहायक कलक्टर
दौसा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट